न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

मु0न0 116/15

तारीख रजू:– 03.12.2015

पीठासीन अधिकारी:– दुर्गा प्रसाद मीना (आर.ए.एस)

उनवान

1. मूली पत्नि स्व0 मांग्या जाति मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली

वादीया

बनाम

1. जगदीश पुत्र रामलाल मीना निवासी मेरेडा तहसील टोडाभीम जिला करौली।

प्रतिवादी

दावा वावत इस्तकरारहक एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति:– श्री रामभरोसी गुप्ताएडवोकेट (वादीया)

श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांक:– 05.11.2019

संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि ग्रम मेरेडा की भूमि ख0न0 619/0.44, 620/0.28, 623/0.07, 624/0.10 कुल किता 4 कुल रकवा 0.89है0 की खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी के नाम दर्ज है। ख0न0 628/0.12, 629/0.10, 630/0.12, 632/0.25, 647/0.09 कुल किता 5 कुल रकवा 0.68है0 मे हिस्सा 2/3 की खातेदारी प्रवितादी जगदीश के नाम है तथा शेष 1/3 की खातेदारी धर्मपाल पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी मेरेडा के नाम दर्ज है। उक्त आराजीयात मे वादीया अपने पति के समय से पिछले पचासो साल से हिस्सा 1/3 को काश्त कर रही है और मौके पर काबिज है। ख0न0 632, 628, 629, 630, 647 मे मौके पर आबादी हो रही है किसी प्रकार की काश्त नही है यह आबादी पचासो वर्ष पुरानी है ख0न0 632 मे जगदीश व धर्मपाल की रिहायश हो रही है। ख0न0 628 मे जगदीश का शिवालय व पानी का कुण्डा है, ख0न0 629 मे धर्मपाल का मकान बना हुआ है , ख0न0 630 मे वादीया मूली की रिहायश बाखड है। तथा धर्मपाल का शिवालय बना हुआ है ख0न0 647 मे वादीया मूली की रिहायश की पाटौर डली हुई है तथा वादीया मूली व धर्मपाल का पानी का कुण्डा बना हुआ है। इस प्रकार समस्त खसरा नम्बरान मे आबादी हो रही है तथा वादीया हिस्सा 1/3 पर काबिज है। ख0न0 619 मे होकर ख0न0 624 मे 15 फिट चौडी ग्रेवल सडक है जो वादीया मूली व धर्मपाल का है। यह रास्ता 647 मे धूम कर आ रहा है। तथा ख0न0 619 व 624 मे मूली की सरसो की फसल खडी हुई है। इस प्रकार वर्णित आराजीयात मे वादीया हिस्सा 1/3 की खातेदार काबिज है तथा अपने हक मे खातेदारी कराने की हकदार है।

वादीया के पति का देहान्त हो चुका है। तथा वादीया व प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। वादीया के ससुर का नाम टुण्डा है, टुण्डा व दीपराम खास भाई है। दीपराम का रामफूल व मूला दो पुत्र है रामफूल का जगदीश है जो प्रतिवादी है तथा मूला का धर्मपाल है। आपसी भाईचारे की बजह से वादीया ने अपनी खातेदारी कराने के संबध मे कोई कार्यवाही नही की थी लेकिन प्रतिवादी की नियत मे बेईमानी है व अपने नाम दर्ज खातेदारी का नाजायज फायदा उठाना चाहता है। वादीया दिनांक 20.11.15 को अपने कब्जे की भूमि पर बैठी हुई थी कि प्रतिवादी जगदीश ने आकर ऐलानिया धमकी दी कि इस भूमि पर आना जाना छोड दो, तुम्हारा कोई हिस्सा नही है इस कारण यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

अतः दावा वादीया बखिलाफ प्रतिवादी बावत इस्तकरारहक डिक्री किया जाकर 619/0.44, 620/0.28, 623/0.07, 624/0.10 कुल किता 4 कुल रकवा 0.89है0 एवं ख0न0 628/0.12, 629/0.10, 630/0.12, 632/0.25, 647/0.09 कुल किता 5 कुल रकवा 0.68है0 मे हिस्सा 1/3 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। तथा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

जावे कि वादीया के हिस्सा 1/3 मे कब्जेकाश्त मे, रिहायश व कब्जा रिहायश मे किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने उपस्थित होकर जबाब पेश किया कि 619/0.44, 620/0.28, 623/0.07, 624/0.10 कुल किता 4 कुल रकवा 0.89है0 की खातेदारी प्रतिवादी के नाम है और प्रतिवादी का ही कब्जा है। ख0न0 628/0.12, 629/0.10, 630/0.12, 632/0.25, 647/0.09 कुल किता 5 कुल रकवा 0.68है0 मे हिस्सा 2/3 की खातेदारी प्रतिवादी के नाम दर्ज है और अपने हिस्से पर काबिज व दखिल है। विवादग्रस्त आराजीयात से वादीया का किसी प्रकार का कोई संबध नही है। वादपत्र मे वर्णित अन्य तथ्य भी एकदम गलत अंकित किये है। प्रतिवादी द्वारा अपने हिस्से मे मजाहमत मदाखलत नही करने तथा अपना हिस्सा अलग कराने का एक मुकदमा जगदीश बनाम धर्मपाल वगै0 इस सम्माननीय अदालत मे प्रस्तुत कर रखा है। वादीया को बहलाकर प्रतिवादी के खिलाफ झूठा मुकदमा दायर किया है विवादग्रस्त आराजीयात पर वादीया का कब्जा नही है कब्जा के अभाव मे दावा खारिज किया जावे।

निम्न प्रकार तनकीयात कायम की गई:-

1. आया यह है कि वादपत्र मे मद न0 1 व 2 मे वर्णित आराजीयात मे वादीया हिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार है। वादीया के अपने पति के समय से 50 सौ साल से लगातार काश्त कर रही है।

(जिम्मेवादीया)

2. आया यह है कि ख0न0 632, 628, 630, 629, 647 मे मौके पर आबादी हो रही है। ख0न0 619, 624 मे वादीया मूली की सरसो की फसल काश्त है। वर्णित आराजीयात मे वादीया 1/3 की खातेदारी कराने की हकदार है तथा कब्जाकाश्त व रिहायश मे व्यवधान नही करने के लिये प्रतिवादी को पाबन्द कराने की हकदार है।

(जिम्मेवादीया)

3. आया यह है कि विवादित भूमि मे प्रतिवादी हिस्सा 2/3 का खातेदार काश्तकार है। वादीया के समस्त कथन गलत है। वादीया का कब्जाकाश्त नही है, नाही उसका हिस्सा है। वादीया का दावा खारिज योग्य है। तथा मद न0 1 मे सम्पूर्ण खातेदार हूँ।

(जिम्मे प्रतिवादी)

4. आया यह है कि प्रतिवादी ने स्थाई निषेधाज्ञा का मुकदमा उनवानी जगदीश बनाम धर्मपाल प्रस्तुत कर रखा है। धर्मपाल इस मुकदमे मे जबाब पेश नही कर रहा है वादीया को बहलाकर प्रतिवादी के खिलाफ एक झूठा मुकदमा दायर किया है जो चलने योग्य नही है जो कि खारिज योग्य है।

(जिम्मे प्रतिवादी)

वादीया ने वादपत्र मे समर्थन मे नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श–1, नकल गिरदावरी सम्वत 2017–19 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2029–32 प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2033–36 प्रदर्श–4, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2037–39 प्रदर्श–5, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2049–52 प्रदर्श–6, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2053–56 प्रदर्श–7, तहसीलदार टोडाभीम का पत्रांक 414 दिनांक 12.2.16 प्रदर्श–8, नकल अंतरिम रिपोर्ट प्रदर्श–9, सिविल न्यायालय एवं न्यायिक मजिस्टेट टोडाभीम की आदेशिका दिनांक 15.2.17 प्रदर्श– 10, अंतरिम रिपोर्ट प्रदर्श–11, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श–12 पेश की है। तथा वादीया का शपथ पत्र पेश किया है जिनसे वकील प्रतिवादी ने जिरह पूर्ण की। प्रतिवादी ने कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किये।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वादीया वकील ने वादपत्र मे वर्णित तथ्यो को ही दोहराया कि वादीया एवं प्रतिवादी एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित आराजीयात मे रिहायश हो रही है। विवादित आराजीयात के 1/3 हिस्से मे वादीया की रिहायश मकान पाटीरपोश बने हुये है। वादीया का कब्जा है। एडवर्स पजेशन के आधार पर वादीया का दावा डिक्री किया जाकर विवादित आराजीयात मे हिस्सा 1/3 की खातेदार काश्तकार घोषित की जावे। प्रतिवादी वकील ने अपनी बहस मे कथन किया कि वादीया ने एडवर्स पजेशन व पैतृक भूमि दोनो आधारो पर खातेदारी नही चाही है, दावे मे सजरा भी नही बनाया है, नाही विवादित

उपनिला कलेक्टर
टोडाभीम (करौली)

Scanned by CamScanner

आराजीयात को पैतृक बताया गया है। वादपत्र मे मद न0 4 मे सरसो फसल काश्त बताई गई है। विवादित आराजीयात मे हिस्सा 1/3 का धर्मपाल खातेदार है उसे पक्षकार भी नही बनाया गया है। अतः वादीया का दावा खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अध्यन किया व वकील पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया वाद का तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार है:–

तनकी न0 1 व 2 को साबित करने का भार वादीया पर होने से दोनो तनकीयो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है:– ग्राम मेरेडा की विवादित आराजीयात ख0न0 619/0.44, 620/0.28, 623/0.07, 624/0.10 कुल किता 4 कुल रकवा 0.89है0 की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2068–71 राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी के नाम दर्ज है। ख0न0 628/0.12, 629/0.10, 630/0.12, 632/0.25, 647/0.09 कुल किता 5 कुल रकवा 0.68है0 मे हिस्सा 2/3 की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2068–71 मे प्रतिवादी जगदीश के नाम है तथा शेष 1/3 की खातेदारी धर्मपाल पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी मेरेडा के नाम दर्ज है। वादीया द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2043–62 प्रदर्श डी–1 अनुसार ख0न0 619, 620 साबिक ख0न0 253 मिन. से ख0न0 621 साबिक ख0न0 257 से, ख0न0 623, 624 साबिक ख0न0 252 से, 622 साबिक ख0न0 251 मिन व 628 साबिक 246 मिन. से 629, 630 साबिक ख0न0 248 मिन से, 632 साबिक ख0न0 246 मिन से, 646 साबिक ख0न0 247 से, 647 साबिक ख0न0 248 मिन. से 648 साबिक ख0न0 251 मिन से, 651 साबिक ख0न0 257 मिन से बनना प्रमाणित है। प्रदर्श डी–2 खसरा गिरदावरी सम्वत 2017–20 के कालम नाम कृषक विवरण सहित के अनुसार ख0न0 251मिन. मे मूल्या बल्द दीपराम व ख0न0 252मिन मे रामफूल बल्द दीपराम, ख0न0 253मिन भी उक्तानुसार दर्ज खातेदारी है। यद्यपि खसरा गिरदावरी सम्वत 2017 के विशेष विवरण कालम मे ख0न0 252मिन मे 1/2 हिस्सा मांग्या का अंकित किया है। परन्तु 2018 की खसरा गिरदावरी के विषेष कालम मे उक्त ख0न0 मे फफली व मांग्या हिस्सा 1/2 का अंकन है। मिलान क्षेत्रफल के मुताबिक वादग्रस्त ख0न0 628, 629, 630, 632, 647 साबिक ख0न0 246 मिन. 248 मिन. से बने है। जिनके बारे मे वादीया द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी प्रदर्श डी–3 सम्वत 2029–32 मे नाम कृषक विवरण कालम मे ख0न0 246 मिन. मूल्या हिस्सा 1/3, रामफूल हिस्सा 2/3 पुत्र दीपराम का अंकन है, ख0न0 248 मिन. के उप कालम ख0न0 246 मिन. के अनुसार ही है, उक्त भूमि को वादीया द्वारा वाद मे परिवार की खातेदारी भूमि बताई है परन्तु वादीया ने अपने दस्तावेजो से यह साबित नही किया है कि उक्त भूमि किस प्रकार से उसकी पैतृक सम्पत्ति है तथा सम्वत विशेष मे किसी खसरा नम्बर विशेष का किसी काश्तकार द्वारा काश्त/कब्जा किये जाने विशेष से उस ख0न0 की खातेदारी काश्त/कब्जा करने वाले काश्तकार/कब्जेदार के नाम किया जाना कानून सम्मत नही है। जब वादीया खातेदार काश्तकार ही नही है तो प्रतिवादी खातेदार को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने की हकदार भी नही है अतः उक्त तनकीयात बखिलाफ वादीया निर्णित की जाती है।

तनकी न0 3:– ग्राम मेरेडा की विवादित आराजीयात ख0न0 619/0.44, 620/0.28, 623/0.07, 624/0.10 कुल किता 4 कुल रकवा 0.89है0 की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2068–71 राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादी के नाम दर्ज है। ख0न0 628/0.12, 629/0.10, 630/0.12, 632/0.25, 647/0.09 कुल किता 5 कुल रकवा 0.68है0 मे हिस्सा 2/3 की खातेदारी जमाबन्दी सम्वत 2068–71 मे प्रतिवादी जगदीश के नाम है तथा शेष 1/3 की खातेदारी धर्मपाल पुत्र मूल्या जाति मीना निवासी मेरेडा के नाम दर्ज है। अतः प्रतिवादी रिकार्ड अनुसार खातेदार काश्तकार है, इसलिये यह तनकी बखिलाफ वादीया एवं प्रतिवादी के हक मे निर्णित की जाती है।

तनकी न0 4:– यह सही है कि प्रतिवादी ने मुकदमा उनवानी जगदीश बनाम धर्मपाल प्रस्तुत किया हुआ है जो कि प्राथमिक डिक्री किया गया है। अतः यह तनकी प्रतिवादी के हक मे निर्णित की जाती है।

आदेश

अतः यह दावा वादीया बखिलाफ प्रतिवादी बाबत इस्तकरारहक एवं स्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 5.11.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

5/11/19

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)
(दुर्गा प्रसाद मीना)
उप जिला कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Prasad Meena
Date: 2019.12.04 14:57:33 IST
Reason: SelfAttested
Location: